**वितरण आदेश क्रमांक -२**
**२००९-१०**

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (B.D.S.)द्वारे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांना अनुदान.

**१. आदिवासी क्षेंत्रातील जनजाती क्षेत्रातंर्गत उपयोजना खालील लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य.**
**२. आदिवासी जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजना खालील लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य.**

महाराष्ट्र शासन
ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग
शासन निर्णय क्रं.स्वग्रायो-२००९/प्र.क्र.१५० /योजना-३
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२,
दिनांक : १५ सप्टेंबर, २००९

वाचा : १) शासन निर्णय ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्रं.स्वग्रायो-२००९/प्र.क्र.१४९/योजना-३, दिनांक २६ ऑगस्ट, २००९ (वितरण आदेश क्र.१)

**शासन निर्णय :**

केंद्र शासनाने सन १९९९ पासून ७५% केंद्र पुरस्कृत स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सुरु केली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाने सन २००९-१० या कालावधीत वितरीत केलेल्या निधीचा समरुप राज्य हिस्सा म्हणून काही प्रमाणात उपरोक्त वितरण आदेश क्र.१ अन्वये विशेष घटक योजनेखालील लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य (२५०१ ०५५ ८) क्षेत्रातून एकूण रु. ४००.०० लाख (अक्षरी रु. चारशे लाख फक्त) इतका निधी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांना वितरीत करण्यात आला आहे.

२. उर्वरित निधी सोबतच्या विवरणपत्रानुसार, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविल्या नुसार, खालील लेखाशिर्षानुसार **दिनांक १५ सप्टेंबर, २००९ रोजी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली ( B.D.S.) द्वारे** वितरीत करण्यात आला आहे.

| अ.क्र. | | **आदिवासी क्षेंत्रातील जनजाती (२५०१ ०४१३)** (रु. लाखात) | **आदिवासी जनजाती क्षेत्राबाहेरील (२५०१ ०४३१)** (रु. लाखात) |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | नाशिक व नंदूरबार येथील विशेष प्रकल्पांना निधी | ६५.२५ | ०.०० |
| २ | केंद्र शासनाच्या पहिल्या हप्त्याचा राज्य समरुप हिस्सा | २१०.९७ | १२५.११ |
| ३ | एकुण | २७६.२२ | १२५.११ |

३.		या योजनेसाठी सन २००८-०९ पासून "२५०१-ग्रामीण विकासासाठी विशेष कार्यक्रम, ०६ स्वयंरोजगार कार्यक्रम-१०१, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार - ( ०१ ) ( ०१ ) अनुसूचित जाति/ जमाती व्यतिरीक्त लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य (२५०१ ०५ ४९) ४३, अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षा खालील निधी जिल्हाधिकारी यांचेकडून संबंधित जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांना वितरीत केला जाणार आहे. त्यामुळे वरील वितरण आदेश क्रमांक १ अन्वये वितरीत केलेल्या निधी व्यतिरिक्त आणि सोबतच्या विवरण पत्रात दर्शविलेल्या निधी व्यतिरीक्त, केंद्र शासनाकडील प्राप्त निधीचा समरुप राज्या हिस्सा एकूण २५% निधीच्या मर्यादेत निधी या लेखाशिर्षा खाली मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांचेकडे मागणी नोंदवावी.

४.		सदर निधी संबधीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून सुपूर्द करण्यात येत आहेत. सदर निधी संबंधित जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाना अदा करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. त्यांनी संबंधीत जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेस सदर निधी प्रदान करण्याची कार्यवाही करावी.

५.		सदर खर्च सोबतच्या विवरणपत्रात स्वतंत्रपणे दर्शविल्यानुसार ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक एल ३ "२५०१-ग्रामीण विकासासाठी विशेष कार्यक्रम " मागणी क्रमांक १) **टि-५ "२५०१-- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - जनजाती क्षेत्र उपयोजना-०१- , एकात्मिकृत ग्राम विकास कार्यक्रम -जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांकडून सहाय्य -४१-सहाय्यक अनुदान (००) (०१) राज्य योजनातंर्गत योजना (२५०१ ०४१३)** " व २) **टि-५"२५०१-** पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- **जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजना-०१-एकात्मिकृत ग्राम विकास कार्यक्रम- १०१ जिल्हा ग्रामीण विकास अभिकरणांना सहाय्यक अनुदान-४१-सहाय्यक अनुदान-(००) (०१) राज्य योजनातंर्गत योजना (२५०१ ०४३१)** "या उपलेखाशिर्षाखाली सन २००८-२००९ मध्ये केलेल्या तरतूदी मधून भागवावा.

६.		हे अनुदान ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात आलेले आहे त्याच प्रयोजनाकरीता खर्च करण्यात यावे. अन्यथा ती वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल याची अमंलबजावणी करणा-या अधिका-यांनी नोंद घ्यावी.

७.		या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर प्रकल्प संचालकानी पुढील माहिती त्वरीत लेखाधिकारी कार्यासन क्रमांक योजना-२, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग यांचे कडे पाठवावी. १) मंजूर केलेली रक्कम २) कोषागारातून काढलेली रक्कम ३) रक्कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमांक व दिनांक.

८.		ज्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांना केंद्र शासनाने वितरीत केलेल्या निधीच्या प्रमाणात समरुप राज्यहिस्सा मिळाला नसेल, अशा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांनी सदर हिस्सा जिल्हाधिकारी यांच्याकडून सर्वसाधारण क्षेत्रातून (२५०१ ०५४ ९) मधुन प्राप्त करुन घ्यावा.

९. सोबतच्या विवरणपत्राद्वारे दर्शविण्यात आलेला निधी वितरीत करण्यात आला असला तरी मंजूर अनुदानाच्या मर्यादेत व केंद्र शासनाच्या निधीच्या समरुप हिश्याच्या मर्यादेत निधी काढण्यात यावा. हा निधी अथवा उपरोक्त सुचनेनुसारचा निधी, कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त व केंद्र शासनाच्या निधीच्या समरुप २५% हिश्यापेक्षा जास्त निधी आहरित होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra.gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रं. **२००९०९१५१३१४४८००१** असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने,

१५।०९।१२

( रा. शं. नागरे )
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.

प्रत,

१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्रि-१, मुंबई (पांच जादा प्रतींसह)
२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२,नागपूर ( पांच जादा प्रतींसह)
३. विभागीय आयुक्त व त्यांच्या कार्यालयातील उपायुक्त (विकास शाखा), (सर्व) विभाग, ( दोन जादा प्रतींसह)
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , सर्व.
५.. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा , सर्व.
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी , सर्व.
७.नियोजन विभाग ( का. १४४१) मंत्रालय मुंबई-३२.
८. आदिवासी विकास विभाग ( कार्यासन १४ व ०७ )
९. वित्त विभाग (व्यय-१५) व ( अर्थ-१६) मंत्रालय मुंबई-३२.
१०. अप्पर संचालक, प्रकल्प आखणी व एकात्मीक ग्रामीण विकास कार्यक्रम कक्ष ( पांच प्रतींसह)
११ कार्यासन अधिकारी, का.क्रं. वित्त-७, वित्त-१, योजना-१, योजना-२, योजना-५ व योजना-७ ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग.
१२. निवड नस्ती का.क्रं. योजना-३ ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग.

शासन निर्णय क्रं. स्वग्रायो-२००९/प्र.क्रं १५०/ योजना- ३ ,
दि. १५ सप्टेंबर, २००९ चे जोडपत्र (वितरण आदेश क्रं. २)

## स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना २००९-१०

### अर्थसंकल्पीय प्रणाली द्वारे (B.D.S) निधी वितरण दि १५ सप्टेंबर, २००९

| अ.क्र | जिल्हा | "२५०१-- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - जनजाती क्षेत्र उपयोजना-०१- ,एकात्मिकृत ग्राम विकास कार्यक्रम -जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांकडून सहाय्य -४१-सहाय्यक अनुदान (००) (०१) राज्य योजनातंर्गत योजना (२५०१ ०४१३) " | | | "२५०१- जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजना-०१-एकात्मिकृत ग्राम विकास कार्यक्रम - १०१ जिल्हा ग्रामीण विकास अभिकरणांना सहाय्यक अनुदान -४१ - सहाय्यक अनुदान - (००) (०१) राज्य योजनातंर्गत योजना (२५०१ ०४३१) | एकूण (स्तंभ ३ + स्तंभ ४ +स्तंभ ६) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SGSY २००९-१० | विशेष प्रकल्प | एकूण | SGSY २००९-१० | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | |
| १ | ठाणे | ३७.२७ | ०.०० | **३७.२७** | ३.९४ | ४१.२१ |
| २ | रायगड | ०.५९ | ०.०० | **०.५९** | १८.६६ | १९.२५ |
| ३ | रत्नागिरी | ०.०० | ०.०० | **०.००** | ०.२७ | ०.२७ |
| ४ | सिंधुदुर्ग | ०.०० | ०.०० | **०.००** | ०.१५ | ०.१५ |
| ५ | नाशिक | ४२.०८ | ४९.४४ | **९१.५२** | ०.०० | ९१.५२ |
| ६ | धुळे | ९.०० | ०.०० | **९.००** | ३.३८ | १२.३८ |
| ७ | नंदुरबार | ४९.१० | १५.८१ | **६४.९१** | १.५३ | ६६.४४ |
| ८ | जळगांव | २.२७ | ०.०० | **२.२७** | २.८९ | ५.१६ |
| ९ | अहमदनगर | १४.०८ | ०.०० | **१४.०८** | ६.७३ | २०.८१ |
| १० | पुणे | ६.१२ | ०.०० | **६.१२** | १.५७ | ७.६९ |
| ११ | सातारा | ०.०० | ०.०० | **०.००** | ०.०० | ०.०० |
| १२ | सांगली | ०.०० | ०.०० | **०.००** | ०.०० | ०.०० |
| १३ | सोलापूर | ०.०० | ०.०० | **०.००** | १.३६ | १.३६ |
| १४ | कोल्हापूर | ०.०० | ०.०० | **०.००** | ०.०० | ०.०० |
| १५ | औरंगाबाद | ०.०० | ०.०० | **०.००** | १.२० | १.२० |
| १६ | जालना | ०.०० | ०.०० | **०.००** | ०.६० | ०.६० |
| १७ | परभणी | ०.०० | ०.०० | **०.००** | १.८० | १.८० |
| १८ | हिंगोली | ०.०० | ०.०० | **०.००** | ७.१२ | ७.१२ |
| १९ | बीड | ०.०० | ०.०० | **०.००** | ०.१५ | ०.१५ |
| २० | नांदेड | १.७६ | ०.०० | **१.७६** | ४.८६ | ६.६२ |
| २१ | उस्मानाबाद | ०.०० | ०.०० | **०.००** | ०.३३ | ०.३३ |
| २२ | लातूर | ०.०० | ०.०० | **०.००** | ०.१२ | ०.१२ |
| २३ | बुलढाणा | ०.०० | ०.०० | **०.००** | १.४७ | १.४७ |
| २४ | अकोला | ०.०० | ०.०० | **०.००** | ०.३१ | ०.३१ |
| २५ | वाशिम | ०.०० | ०.०० | **०.००** | ०.२० | ०.२० |
| २६ | अमरावती | ८.५२ | ०.०० | **८.५२** | ७.८४ | १६.३६ |
| २७ | यवतमाळ | १२.४७ | ०.०० | **१२.४७** | १७.६९ | ३०.१६ |
| २८ | वर्धा | ०.०० | ०.०० | **०.००** | ९.८७ | ९.८७ |
| २९ | नागपूर | १.४२ | ०.०० | **१.४२** | ४.९९ | ६.४१ |
| ३० | भंडारा | ०.०० | ०.०० | **०.००** | १०.२९ | १०.२९ |
| ३१ | गोंदिया | १०.२५ | ०.०० | **१०.२५** | ९.०८ | १९.३३ |
| ३२ | चंद्रपूर | ४.८१ | ०.०० | **४.८१** | ६.७१ | ११.५२ |
| ३३ | गडचिरोली | ११.२३ | ०.०० | **११.२३** | ०.०० | ११.२३ |
| | **एकूण** | **२१०.९७** | **६५.२५** | **२७६.२२** | **१२५.११** | **४०१.३३** |

c:\smita\TSP Release 2009-10 Vitran adesh 2 CR 150.xls